



TECHNOTHEISM

टेक्नोथीज़्म काउंसिल के लिए नियमावली

1. सामान्य प्रावधान

- 1.1. टेक्नोथीज़्म काउंसिल (इसके बाद “काउंसिल”) संगठन के विकास, प्रबंधन और दीर्घकालिक योजना की निगरानी करने वाला सर्वोच्च रणनीतिक निकाय है।
- 1.2. काउंसिल का उद्देश्य रणनीतिक दिशा तय करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
- 1.3. काउंसिल कार्यकारी या संचालनात्मक प्रबंधन का कार्य नहीं करता, बल्कि प्राथमिकताओं और मुख्य गतिविधियों की दिशा तय करने पर केंद्रित है।

2. काउंसिल के अधिकार

2.1. काउंसिल निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेता है:

- समुदाय के रणनीतिक विकास दिशा की स्वीकृति;
- संविधान और अन्य आंतरिक दस्तावेजों में संशोधन का प्रस्ताव;
- वित्तीय स्थिरता, साझेदारी कार्यक्रम और स्थानीय समुदायों के विकास का मूल्यांकन;
- पहले से लिए गए रणनीतिक निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी;
- स्थानीय और क्षेत्रीय समुदायों की गतिविधियों की निगरानी;
- समुदाय के विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख पहलों पर चर्चा।

2.2. काउंसिल को यह अधिकार नहीं है कि वह:

- समुदाय के दैनिक प्रबंधन में हस्तक्षेप करे;
- बिना अनुमोदन के संविधान, दर्शन या रणनीतिक लक्ष्य बदलें;
- सदस्यों की नियुक्ति या हटाने का निर्णय बिना सहमति के ले;
- समुदाय के मूल सिद्धांतों के विपरीत निर्णय ले।

3. काउंसिल की संरचना

3.1. काउंसिल में शामिल हैं:

- समुदाय की मुख्य टीम के सदस्य;
- वैश्विक क्षेत्रीय नेता, जो अपने क्षेत्र में समुदाय के विकास के लिए जिम्मेदार हैं;
- अन्य व्यक्ति जिनकी भागीदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

3.2. नए सदस्यों को केवल काउंसिल के सभी सदस्यों के मतदान द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। सदस्य को हटाने के लिए भी शुरुआत और अनुमोदन आवश्यक है।

3.3. काउंसिल अपनी संरचना का विस्तार बिना प्रस्ताव और अनुमोदन के नहीं कर सकता।

4. निर्णय लेना

- 4.1. काउंसिल के सभी निर्णय मतदान द्वारा लिए जाते हैं।
- 4.2. निर्णय को पास करने के लिए कुल सदस्यों के दो-तिहाई मत आवश्यक हैं।
- 4.3. यदि आवश्यक संख्या में मत नहीं मिलते हैं, तो निर्णय अस्वीकृत हो जाता है और अगली बैठक में पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है।
- 4.4. असाधारण परिस्थितियों में, समुदाय के प्रबंधक काउंसिल के निर्णय पर वेटो लगा सकते हैं यदि यह सिद्धांतों, रणनीतिक लक्ष्यों या संगठन की स्थिरता के विपरीत हो।
- 4.5. वेटो लगाने के बाद काउंसिल को निर्णय पर पुनर्विचार करना और वैकल्पिक प्रस्ताव पेश करना अनिवार्य है।

5. काउंसिल का कार्य प्रारूप

- 5.1. काउंसिल की बैठक कम से कम तिमाही में एक बार होती है।
- 5.2. बैठकें आमने-सामने, ऑनलाइन या मिश्रित प्रारूप में हो सकती हैं।
- 5.3. काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों को बैठक की कार्यवाही में दर्ज किया जाता है।
- 5.4. असाधारण बैठक प्रबंधकों या कम से कम आधे सदस्यों की मांग पर बुलाई जा सकती है।
- 5.5. बैठक के परिणाम समुदाय के ऑनलाइन संसाधनों पर प्रकाशित किए जाते हैं।

6. अंतिम प्रावधान

- 6.1. यह नियमावली अनुमोदन के समय से प्रभावी होती है और काउंसिल की गतिविधियों को स्थापित प्रक्रियाओं तक नियंत्रित करती है।
- 6.2. किसी भी संशोधन या जोड़ को चर्चा और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- 6.3. काउंसिल की गतिविधियाँ पारदर्शिता, दक्षता और समुदाय व उसके सदस्यों के हितों की सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित हैं।